रजिस्ट्री सं0 डी0एल0-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2007/चैत्र 8, 1929

No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2007/CHAITRA 8, 1929

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 256 (अ).—राजनयिक अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राजनयिक एवं कोंसली अधिकारी (शुल्क) नियमावली, 1949 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :–

1. (1) इन नियमों को राजनियक एवं कोंसली अधिकारी (शुल्क) संशोधन नियमावली, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. राजनयिक एवं कोंसली अधिकारी (शुल्क) नियमावली, 1949 में अनुसूची I, खण्ड 9 (अन्य सेवाओं के संबंध में शुल्क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :–

जिस मामले में शुल्क लगाया जा सकता है	शुल्क की सीमा अमरीकी डालरों में	(भारत के बाहर लागू) यूरो में (उन देशों पर लागू होगी जहां की मुद्रा यूरो है)
1	2	3
अन्य सेवाओं के संबंध में शुल्क		
9(क) "कोंसली मेनुअल के अनुसार अन्य विविध साक्ष्यांकन, सिविल प्रमाण-पत्रों को जारी करना नोटरी सेवाएं जो उपर्युक्त में से किसी श्रेणी में नहीं आता है, जन्म का पंजीकरण और प्रविष्टि की एक प्रति"	20 अमरीकी डालर	16 यूरो
9(क) 1. "सभी मामलों में भारतीय राष्ट्रिकों के शवों को भारत लाने के लिए दस्तावेजों का साक्ष्यांकन "	नि:शुल्क	नि:शुल्क

1	2	3
9(ख) जिन मामलों में कोंसली अधिकारी उपर्युक्त मद सं. 9(क) 1 में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित दस्तावेज तैयार करता है अथवा तैयार करने में सहायता करता है।	नि:शुल्क	नि:शुल्क
9(ग) "मृत्यु पंजीकरण" रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रत्येक प्रमाणित प्रति के लिए	15 रुपए (अथवा विदेशी मुद्रा में इसका समतुल्य)	15 रुपए (अथवा विदेशी मुद्रा में इसका समतुल्य)
इस उपबंध के साथ कि मिशन प्रमुख/केन्द्र प्रमुख इस प्रभारों में अपने विवेकाधिकार से छूट दे सकते हैं ।		

[सं. टी-4330/3/2003]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

नोट : प्रधान नियम दिनांक 8 नवम्बर, 1949 की अधिसूचना सं. 420-कोंसुलर के तहत प्रकाशित किए गए थे :–

(i) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1977 दिनांक 14-11-1967
(ii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) दिनांक 13-10-1976
(iii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ) दिनांक 2-4-1979
(iv) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 862(अ) दिनांक 1-11-1985
(v) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 688(अ) दिनांक 15-10-1993
(vi) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 712(अ) दिनांक 18-11-1993
(vii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912(अ) दिनांक 20-12-2001

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 256 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Diplomatic Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, namely :—

1. (1) These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, for Schedule, I, Clause 9 (Fee in respect of other services), the following shall be substituted namely :—

Matter in respect of which a fee is leviable	Scale of fee in US $	(applicable out of India) in Euro (will apply to Countries where Euro is the currency)
1	2	3
Fee in respect of other services		
9 (A) "Other miscellaneous attestations, issue of civil certificates, notarial services as per Consular Manual, not falling within any of the above categories, registration of birth and a copy of the entry"	US $ 20	Euro 16
9(A) 1. "Attestation of documents for transportation of dead body of Indian nationals to India in all cases"	Gratis	Gratis

1	2	3
9(B) Where Consular Officer draws up or assists in drawing up of any documents pertaining to services mentioned at item 9(A) 1 above	Gratis	Gratis
9(C) "Registration of death"	Rs. 15 (or its equiv. in Foreign Currency)	
For each certified copy of an entry in the Register	Rs. 15 (or its equiv. in Foreign Currency)	
With the proviso that HOM/HOP may waive these Charges at his discretion		

[No. T-4330/3/2003]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Note : Principal rules published *vide* Notification No. 420-Con. Dated 8 November, 1949. Subsequently amended by :—

(i) Notification No. GSR 1977 dated 14-11-1967
(ii) Notification No. GSR 817(E) dated 13-10-1976
(iii) Notification No. GSR 326(E) dated 2-4-1979
(iv) Notification No. GSR 862(E) dated 1-11-1985
(v) Notification No. GSR 688(E) dated 15-10-1993
(vi) Notification No. GSR 712(E) dated 18-11-1993
(vii) Notification No. GSR 912(E) dated 20-12-2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.